संख्या 537/वि0अनु0-1/2004

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल,

वित्तअनुभाग–1 देहरादून,दिनांकः 16 जुलाई,2004

विषय:– राज्य कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण/क्रय/ मरम्मत/विस्तार अग्रिम योजना को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश बी–3–6518/दरा–88–100(9)–88, दिनांक 8.12.1988 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण की लागत में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. भवन निर्माण अग्रिम की राशि –

(1) भवन के निर्माण/क्रय के लिए गृह निर्माण अग्रिम की सीमा अब 50 मास का मूल वेतन या रू. 7,50,000/– , जो भी कम हो,, होगी। इसकी ब्याज सहित वसूली अधिकतम 240 मासिक किश्तों में होगी।

(2) भवन मरम्मत /विस्तार के लिए अग्रिम की सीमा 50 माह का मूल वेतन या रू. 1,80,000/– ,जो भी कम हो, होगी। इसकी ब्याज सहित वसूली अधिकतम 120 मासिक किश्तों में होगी।

2. स्वीकृत भवन निर्माण /क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर धनराशि के अनुसार ब्याज की दरें निम्नवत् होगी–

(क) स्वीकृत अग्रिम	50,000 रूपये तक	6.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ख) स्वीकृत अग्रिम	1,50,000 रूपये तक	7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ग) स्वीकृत अग्रिम	2,50,000 रूपये तक	9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(घ) स्वीकृत अग्रिम	5,00,000 रूपये तक	9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(च) स्वीकृत अग्रिम	7,50,000 रूपये तक	10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

3. उक्त अग्रिम की अनुमन्यता 1–1–96 से लागू वेतनमान के अनुसार होगी।

4. ऋण अग्रिम के मूल एवं ब्याज की कटौती में व्यवधान की स्थिति में न काटी गयी किश्त/किश्तें एक मुस्त अगली किश्त के साथ काट ली जायेगी। इसके साथ ही ऋण अग्रिम लेने वाले कर्मचारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह न जमा की गयी किश्तों की धनराशि एक मुस्त ट्रेजरी चालान के द्वारा कोषागार में जमा करेगे अन्यथा दण्ड ब्याज के रूप में प्रतिमाह के आधार पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त वसूल किया जायेगा।

5. जिन मामलों में पूर्व में भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि आंशिक/पूर्ण रूप से अवमुक्त की जा चुकी है, उनमें उपर्युक्त उदारीकृत व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी। ब्याज की दरों में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

6. उक्त के अतिरिक्त पूर्व शासनादेशों की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

7. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

8. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 में तदनुसार यथाआवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

राधा रतूड़ी

सचिव,वित्त।

संख्या 537 (1)/वि0अनु0–1/2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
(3) रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,नैनीताल ।
(4) समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल
(5) एन0आई0सी0,देहरादून ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(7) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपररसचिव,वित्त

संख्या 538/वि0अनु0–1/2004

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून:दिनांक 16 जुलाई,2004

विषयः वाहन अग्रिम –मोपेड/आटो सायकिल अग्रिम, मोटर सायकिल/स्कूटर अग्रिम, मोटर कार अग्रिम की अधिकतम धनराशि की सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–बी–3–4621/दस–89–125/75–मो0वा0 दिनांक 29.7.1989,शासनादेश संख्या–बी–3– 4620/दस–89–125/75–मो0वा0,दिनांक 29.7.1989 एवं शासनादेश संख्या –बी–3–2335–/दस–90– 125– 75–मो0वा0 दिनांक 29.3.1990 के अनुक्रम में उक्त वाहनों के मूल्य में वृद्धि को देखते हुये राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिये वाहन अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:–

1– (1) मोपेड /आटो साइकिल क्रय अग्रिम –

मोपेड/आटो साइकिल हेतु अग्रिम की अधिकतम सीमा छः माह का मूल वेतन या रुपये 16,000/, जो भी कम हो, होगी ।

(2) मोटर साइकिल /स्कूटर क्रय अग्रिम–

(क) प्रथम बार लिये जाने पर मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम की अधिकतम सीमा छः माह का मूलवेतन या रुपये –30,000/ ,जो भी कम हो,होगी।

(ख) दूसरी बार लिये जाने पर मोटर साइकिल /स्कूटर क्रय अग्रिम की अधिकतम सीमा 5 माह का मूल वेतन या रुपये 24,000/, जो भी कम हो,होगी ।

(3) मोटर कार क्रय अग्रिम –

(क) प्रथम बार मोटर कार क्रय अग्रिम लिये जाने पर अधिकतम सीमा 11 महीने का मूल वेतन या रुपये 1,80,000/– , जो भी कम हो, होगी ।

(ख) दूसरी बार मोटर कार क्रय अग्रिम लिये जाने पर अधिकतम सीमा 11 महीने का मूल वेतन या रुपये 1,60,000/– , जो भी कम हो ,होगी ।

2– उक्त अग्रिमों पर ब्याज की दरें निम्नवत् होगी–

(क) मोपेड/आटो साइकिल/मोटर साइकिल/स्कूटर क्रय अग्रिम पर ब्याज की दरें 9.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी ।

(ख) मोटर कार अग्रिम पर ब्याज की दर 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी ।

3– उक्त अग्रिम की अनुमन्यता 1.1.96 से लागू वेतनमान के अनुसार होगी ।

4– मोटर कार कय अग्रिम उन्हीं राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिनका मासिक मूल वेतन रुपये 10,500/– या इससे अधिक होगा।

5– राज्य कर्मचारियों को दूसरी बार अथवा बाद के अवसरों पर अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जबकि पिछले वाहन अग्रिम लेने की तिथि से कम से कम 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो ।

6– मोपेड/आटो साइकिल /मोटर साइकिल/स्कूटर कय अग्रिम की ब्याज सहित वसूली अधिकतम 70 मासिक किश्तों में की जायेगी ।

7– मोटर कार कय अग्रिम की ब्याज सहित वसूली अधिकतम 200 मासिक किश्तों में की जायेगी।

8– ऋण अग्रिम के मूल एवं ब्याज की कटौती मे व्यवधान की स्थिति में न काटी गई किश्त/किश्तें एक मुश्त अगली किश्त के साथ काट ली जायेगी । इसके साथ ही ऋण अग्रिम लेने वाले कर्मचारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह न जमा की गई किश्तों की धनराशि एक मुश्त ट्रेजरी चालान के द्वारा कोषागार में जमा करेंगे, अन्यथा दण्ड ब्याज के रूप में प्रतिमाह के आधार पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त वसूल किया जायेगा।

9– उक्त के अतिरिक्त पूर्व के शासनादेशों की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

10– ब्याज मे किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नही होगी ।

11– यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

12– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 में तदानुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी

भवदीय,

राधा रतूडी
सचिव,वित्त

संख्या 538 (1)/वि0अनु0–1/2004,तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
(3) रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,नैनीताल ।
(4) समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल
(5) एन0आई0सी0,देहरादून ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(7) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 5382/वि0अनु0–1/2004

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल,देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून,दिनांक: 16 जुलाई,2004

विषयः– राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय के लिये अधिकतम धनराशि की सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–बी–3–6234/दस–89–4(1)/89 कम्प्यूटर, दिनांक 7–12–89 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रथम बार कम्प्यूटर क्रय अग्रिम की अधिकतम सीमा रुपये 60,000/- एवं दूसरी बार लिये जाने पर अधिकतम सीमा रुपये 75,000/- किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1. व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय अग्रिम उन्हें ही अनुमन्य होगा जिन्हें मोटर कार अग्रिम अनुमन्य है।ब्याज की दरें मोटर कार अग्रिम की भाँति होगी।

2. राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की ब्याज सहित वसूली उनके वेतन से अधिकतम 150 मासिक किश्तों में की जायेगी ।

3. जिन कर्मचारियों को पूर्व में मोटर कार अग्रिम स्वीकृत किया गया है उन्हें व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब मोटर कार अग्रिम की तिथि से कम से कम 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो । इसी प्रकार ऐसे कर्मचारियों को मोटर कार अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब व्यक्तिगत कम्प्यूटर लेने की तिथि में कम से कम 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो।

4. स्वीकृत किए जाने वाले व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की ब्याज की दर वही होगी जो शासन द्वारा समय–समय पर मोटर कार अग्रिम हेतु निर्धारित की जाती है।

5. ऋण अग्रिम के मूल एवं ब्याज की कटौती में व्यवधान की स्थिति में न काटी गयी किश्त/किश्तें एक मुश्त अगली किश्त के साथ काट ली जायेगी। इसके साथ ही ऋण अग्रिम लेने वाले कर्मचारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह न जमा की गयी किश्तों की धनराशि एक मुश्त टेजरी चालान के द्वारा कोषागार में जमा करेंगे, अन्यथा दण्ड ब्याज के रूप में प्रतिमाह के आधार पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त वसूल किया जायेगा।

6. व्यक्तिगत कम्प्यूटर पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिये कोई अग्रिम स्वीकृत नही किया जायेगा ।

7. उक्त के अतिरिक्त पूर्व शासनादेशों की शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

8. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

9. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग –1 में तदनुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त

संख्या 538/(1)/वि0अनु0-1/2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
(3) रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,नैनीताल ।
(4) समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल
(5) एन0आई0सी0,देहरादून ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(7) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त